प्रेस विज्ञप्ति
29.04.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 27.04.2026 को चंडीगढ़, जालंधर, लुधियाना और पटियाला में स्थित 11 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। ये परिसर एच.एस. भुल्लर, उनके सहयोगियों, जिनमें प्रॉपर्टी डीलर और संदिग्ध बेनामीदार शामिल हैं, से जुड़े हैं।

सीबीआई, एसीबी, चंडीगढ़ द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। एफआईआर श्री आकाश बत्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने अपने बिचौलिए, किरशनू के माध्यम से पी.एस. सरहिंद में दर्ज एफआईआर के निपटारे के लिए अवैध रूप से रिश्वत की मांग की थी। कथित तौर पर यह मांग इसलिए की गई थी ताकि शिकायतकर्ता के स्क्रैप व्यवसाय के खिलाफ कोई भी जबरदस्ती या प्रतिकूल पुलिस कार्रवाई न की जाए। इसके अलावा, एच.एस. भुल्लर के खिलाफ उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के संबंध में एक और एफआईआर दर्ज की गई थी।

ईडी की जाँच में पता चला कि विभिन्न प्रॉपर्टी डीलरों और उनसे जुड़े व्यक्तियों (संदिग्ध बेनामीदारों) के बैंक खातों में भारी मात्रा में नकद जमा और हस्तांतरण किए गए थे, जिनके पास भूमि में निवेश के अनुपात में आय का कोई वैध स्रोत नहीं था। इन लेन-देन के पैटर्न और पैमाने से संकेत मिलता है कि बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी कई खातों के माध्यम से भेजी गई और संदिग्ध बेनामीदारों के बैंक खातों में जमा की गई। बाद में, इन निधियों का उपयोग संदिग्ध बेनामीदारों के नाम पर संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया और भुल्लर के आवास पर मूल संपत्ति के दस्तावेज पहले सीबीआई द्वारा जब्त किए गए थे, जो लाभकारी स्वामित्व का संकेत देते थे। तलाशी के दौरान, ऐसी कई संपत्तियों से संबंधित सबूत बरामद और जब्त किए गए। इन संपत्तियों में चंडीगढ़, लुधियाना, कपूरथला, मोहाली और जीरकपुर में स्थित आवासीय और कृषि संपत्तियां शामिल हैं। इन लेन-देन की जाँच चल रही है।

तलाशी के परिणामस्वरूप 1.4 करोड़ रुपये की जब्ती/फ्रीजिंग और धन शोधन गतिविधियों से संबंधित विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेजों की बरामदगी हुई।

धन शोधन गतिविधियों के पूरे विस्तार का पता करने और एच.एस. भुल्लर से जुड़े संपत्ति डीलरों, मध्यस्थों और लोक सेवकों के बीच गठजोड़ का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।